न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

नि / 3308 / III / 15

प्र.क्रं. /2015 रिवीजन

मोहम्मद खां पुत्र श्री चांद खां
निवासी –वार्ड क्रमांक 1 शुजालपुर
जिला शाजापुर

---- आवेदक

बनाम

रसूल खां पुत्र श्री चांद खां
निवासी – रैंजर ऑफिस के पास
आकेदिया रोड़ वार्ड क्रमांक –10
शुजालपुर जिला शाजापुर

---- अनावेदक

दिनांक 12-10-15 को श्री सुभाष सक्सेना अभि० द्वारा प्रस्तुत।

12-10-15

<u>आवेदक की यह निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स. 1959 के विरूद्ध आदेश दिनांक 08.09.2015 के द्वारा पारित न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 16/10–11/ अपील।</u>

मानतीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत हैं :–

1– यहकि, प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सर्वे नम्बर 378/2 रकवा 0.157 हैक्टेयर भूमि पर 31.5.1983 से काविज होकर कृषि कार्य कर फसल ले रहा हैं। जिस पर धारा 115, 116 म.प्र.भू.रा.स. का आवेदन आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय शुजालपुर में पेश किया जिसे तहसीलदार द्वारा 18.09.2009 को निरस्त कर दिया गया।

2– यहकि, उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने प्रथम अपील 44 (1) म.प्र.भू.रा.स. के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर का प्रकरण क्रमांक 06/अपील/2009–10 दिनांक 31.07.2010 को निरस्त कर दिया गया।

3– यहकि, अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2010 के प्रकरण क्रमांक 06/अपील/2009–10 में पारित किया गया था जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की, अपर आयुक्त द्वारा अत्यंत संक्षिप्त रूप से केवल मात्र म.प्र. शासन के ज्ञापन क्रमांक –4/2887/2009/78 भोपाल दिनांक 18.08.1979 का हवाला देते हुये निराकरण कर दिया गया जिससे परिवेदित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3308–तीन/2015 जिला शाजापुर

मोहम्मद खां विरूद्ध रसूल खां

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-12-15	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 16/2010–11/अपील में पारित आदेश दिनांक 08–09–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण में संलग्न आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कब्जा शुजालपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 378/2 रकबा 0.157 हे0 पर कब्जा दर्ज किये जाने बावत आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा सूचना पत्र जारी कर पटवारी प्रतिवेदन एवं पंचनामा बनवाया जाकर एवं आवेदक के साक्ष्य अंकित किये जाकर प्रकरण में दिनांक 18–9–2009 को अनावेदक द्वारा आपत्ति किये जाने पर आवेदक का आवेदन निरस्त किया। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी सहित अपर आयुक्त द्वारा उचित माना है। तीनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	